

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
 प्रकरण क्रमांक 42/2013
 संस्थापित दिनांक 01/02/2013
 फाइलिंग नंबर 230303007992013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
 गोहद चौराहा, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. राजपाल चौहान पुत्र अमृत सिंह चौहान
 उम्र 38 वर्ष निवासी साकुरी थाना फतेहावाद
 जिला आगरा उ.प्र.

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा— 304(ए) भा.दं.सं)
 (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार)
 (आरोपी द्वारा अधिवक्ता— श्री एन.एस.तोमर)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 04/04/2017 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 02/01/13 को रात्रि लगभग 11 बजे जैतपुरा के आगे पुलिया के पास भिण्ड ग्वालियर हाइवे रोड पर लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन क्रमांक एमपी06 जीए 0428 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए स्कॉर्पियो में टककर मारकर उसमें बैठे गजेन्द्र सिंह उर्फ रघू को चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 304ए के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 02/01/13 को रात्रि करीब 11 बजे जैतपुरा के आगे पुलिया के पास केदारसिंह जादौन के खेत के पास भिण्ड ग्वालियर हाइवे रोड पर एक कीम कलर की स्कॉर्पियो क्रमांक एमपी07 सीसी 6242 क्षतिग्रस्त हालत में रोड पर खड़ी थी कोई अज्ञात वाहन का चालक अपनी गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाकर स्कॉर्पियो गाड़ी में टककर मार गया था। स्कॉर्पियो गाड़ी के चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। ग्राम जैतपुरा के कोटवार फरियादी कमलेश द्वारा घटना की सूचना पुलिस थाना गोहद चौराहा पर दी गयी थी। फरियादी की सूचना पर पुलिस थाना गोहद चौराहा में अपराध क्रमांक 03/13 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन

किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 02/01/13 को रात्रि लगभग 11 बजे जैतपुरा के आगे पुलिया के पास भिण्ड ग्वालियर हाइवे रोड पर लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन क्रमांक एमपी06 जीए 0428 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए स्कॉर्पियो क्रमांक एमपी07 सीसी 6242 में टककर मारकर मृतक गजेन्द्र सिंह उर्फ रघू को चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी कमलेश मिर्धा अ.सा.1, ब्रखभान सिंह अ.सा.2, गजेन्द्र सिंह अ.सा.3, वीरेन्द्र सिंह अ.सा.4, प्रधान आरक्षक ब्रजराज सिंह अ.सा.5 एवं प्रधान आरक्षक राजेन्द्र सिंह अ.सा.6 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी कमलेश मिर्धा अ.सा.1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह ग्राम जैतपुरा का कोटवार है उसके सामने कई एक्सीडेंट हुये हैं एवं उसने कई एक्सीडेंट के बारे में थाने में सूचना दी है। जनवरी, 2013 में कितने एक्सीडेंट हुये थे उसे जानकारी नहीं है उसे आज यह भी याद नहीं है कि उसने कितनी रिपोर्ट करायी है। उसे घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को रात्रि 11 बजे वह अपने खेत में सिंचाई कर रहा था तो एक अज्ञात वाहन तेजी व लापरवाही से ग्वालियर से भिण्ड की ओर जा रहा था धड़ाम की आवाज होने पर वह खेत से रोड पर आया था तो उसने देखा था कि स्कॉर्पियो में एक अज्ञात वाहन ने टककर मार दी थी एवं वाहन को भगाकर ले गया था। टक्कर लगने से स्कॉर्पियो का चालक खत्म हो गया था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने थाने पर प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मृत्यु की सूचना प्रदर्श पी 2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि स्कॉर्पियो का नंबर उसे पता नहीं है। टककर किससे हुयी थी उसे जानकारी नहीं है। एक्सीडेंट किस वाहन की गलती से हुआ था उसे पता नहीं है।

8. साक्षी ब्रखभान सिंह अ.सा.2 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी राजपाल चौहान को नहीं जानता है उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन वर्ष पूर्व उसके दोस्त रघू का एक्सीडेंट हो गया था वह उस समय घर पर था। सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचा था तो उसने रघू को मृत अवस्था में देखा था। रघू की स्कॉर्पियो गाड़ी वहीं खड़ी हुयी थी। रघू का एक्सीडेंट कैसे हुआ किस वाहन से हुआ उसे जानकारी नहीं है, क्योंकि वह घटना के वक्त मौके पर मौजूद नहीं था। मृत्यु रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 नक्शा लाश पंचायतनामा प्रदर्श पी 4 एवं नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 के कमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि मौके पर उपस्थित लोगों ने उसे बताया था कि भूसा वाले वाहन के चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर स्कॉर्पियो में टककर मार दी थी। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उक्त वाहन को आरोपी राजपाल चौहान चला रहा था।

9. साक्षी गजेन्द्र सिंह अ.सा.3 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी राजपाल को नहीं जानता है। उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पूर्व वह मेहगांव होते हुए अम्बाह जा रहा था तो उसने जैतपुरा के पास देखा था कि स्कॉर्पियो गाड़ी एवं ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था। ट्रक का नंबर क्या था और उसे कौन चला रहा था वह नहीं बता सकता है। एक्सीडेंट उसके सामने नहीं हुआ था। वह एक्सीडेंट होने के बाद मौके पर पहुंचा था। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को डम्पर क्र. एमपी06 जीए 0428 के चालक ने डम्पर को तेजी व उतावलेपन से चलाते हुए स्कॉर्पियो में टककर मार दी थी। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उक्त डम्पर को आरोपी राजपाल चला रहा था। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है उसने एक्सीडेंट होते हुए देखा था। उक्त साक्षी ने प्रदर्श पी 7 का पुलिस कथन भी पुलिस को न देना बताया है।

10. साक्षी वीरेन्द्र सिंह अ.सा.4 द्वारा व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी राजपाल चौहान को नहीं जानता है। उसके पास डम्पर क्रमांक एमपी06 जीए 0428 है। उक्त डम्पर को ड्राइवर चलाते हैं। मैनेजर लोग ड्राइवर रख लेते हैं। राजपाल उसके डम्पर को नहीं चलाता था। प्रदर्श पी 8 के प्रमाणीकरण के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने प्रदर्श पी 8 का प्रमाणीकरण पुलिस को नहीं दिया था केवल हस्ताक्षर किये थे। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह आरोपी राजपाल को जानता है एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसके डम्पर क्रमांक एमपी06 जीए 0428 को आरोपी राजपाल चलाता था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपित डम्पर को आरोपी राजपाल चला रहा था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने प्रदर्श पी 8 का प्रमाणीकरण पुलिस को दिया था।

11. प्रधान आरक्षक ब्रजराज सिंह अ.सा.5 ने प्रदर्श पी 2 की मार्ग इंटीवेशन एवं प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है तथा प्रधान आरक्षक राजेन्द्र सिंह अ.सा.6 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी कमलेश मिर्धा अ.सा.1 जिसके द्वारा प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करायी गयी है ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह ग्राम जैतपुरा का कोटवार है उसने कई एक्सीडेंट की सूचना थाने पर दी है उसे घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि घटना दिनांक को स्कॉर्पियो वाहन को एक अज्ञात वाहन ने टककर मार दी थी जिससे स्कॉर्पियो के चालक की मृत्यु हो गयी थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि एक्सीडेंट किस वाहन की गलती से हुआ था एवं किससे टककर हुयी थी उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार फरियादी कमलेश मिर्धा अ.सा.1 द्वारा घटना दिनांक को स्कॉर्पियो गाड़ी का एक्सीडेंट होना एवं स्कॉर्पियो के चालक की मौके पर मृत्यु होना तो बताया गया है, परंतु यह नहीं बताया गया है कि दुर्घटना किस वाहन ने कारित की थी उसका नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी कमलेश मिर्धा अ.सा.1 द्वारा प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना

रिपोर्ट भी अज्ञात में लेखबद्ध करायी गयी है। उक्त साक्षी द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है अतः उक्त साक्षी के कथनों से आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

14. साक्षी ब्रखभान सिंह अ.सा.2 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि उसे घर पर मृतक रघू के एक्सीडेंट की सूचना मिली थी फिर वह मौके पर पहुंचा था तो उसने मौके पर रघू को मृत अवस्था में देखा था उसे जानकारी नहीं है कि एक्सीडेंट किस वाहन से हुआ था। वह घटना के वक्त मौके पर मौजूद नहीं था। इस प्रकार साक्षी ब्रखभान सिंह अ.सा.2 के कथनों से भी यह दर्शित है कि उक्त साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त साक्षी ने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था। उक्त साक्षी घटना के बाद मौके पर पहुंचा था।

15. साक्षी गजेन्द्र सिंह अ.सा.3 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि वह घटना वाले दिन अम्बाह जा रहा था तो उसने देखा था कि जैतपुरा के पास स्कॉर्पियो गाड़ी एवं ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक का नंबर क्या था और उसे कौन चला रहा था वह नहीं बता सकता है। एक्सीडेंट उसके सामने नहीं हुआ था। वह एक्सीडेंट के बाद मौके पर पहुंचा था उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी राजपाल ने आरोपित डम्फर क्रमांक एमपी06 जीए 0428 को तेजी व उतावलेपन से चलाकर स्कॉर्पियो में टक्कर मार दी थी एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने एक्सीडेंट होते हुए देखा था। इस प्रकार साक्षी गजेन्द्र सिंह अ.सा.3 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं इस तथ्य से इंकार किया गया है कि आरोपी राजपाल ने आरोपित डम्फर क्रमांक एमपी06 जीए 0428 को चलाते हुए वाहन दुर्घटना कारित की थी। उक्त साक्षी द्वारा भी यह व्यक्त किया गया है कि वह एक्सीडेंट होने के बाद मौके पर पहुंचा था उसके सामने एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उक्त साक्षी द्वारा भी न तो दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर बताया गया है और न ही आरोपी के विरुद्ध कोई कथन दिया गया है अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

16. साक्षी वीरेन्द्र सिंह अ.सा.4 जिसे अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपित डम्फर क्रमांक एमपी06 जीए 0428 का स्वामी बताया गया है ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह आरोपी राजपाल को नहीं जानता है आरोपित डम्फर उसका है। मैनेजर लोग डम्फर को चलाने के लिए ड्राइवर रख लेते हैं आरोपी राजपाल उसके डम्फर को नहीं चलता था। उसने प्रदर्श पी 8 का प्रमाणीकरण पुलिस को नहीं दिया था केवल प्रमाणीकरण पर हस्ताक्षर किये थे। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपित डम्फर को आरोपी राजपाल चलाता था एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी राजपाल ने आरोपित डम्फर को चलाते हुए एक्सीडेंट कर दिया था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने प्रदर्श पी 8 का प्रमाणीकरण पुलिस को दिया था। इस प्रकार साक्षी वीरेन्द्र सिंह अ.सा.4 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपित डम्फर को आरोपी राजपाल चलाता था। उक्त साक्षी ने प्रदर्श पी 8 का प्रमाणीकरण भी पुलिस को देने से इंकार किया है। उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

17. प्रधान आरक्षक ब्रजराज सिंह अ.सा.5 द्वारा प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं मर्ग इंटीवेशन प्रदर्श पी 2 को प्रमाणित किया गया है। प्रधान आरक्षक राजेन्द्र सिंह अ.सा.6 ने विवेचना को प्रमाणित किया है उक्त दोनों साक्षीगण प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। प्रकरण में आयी साक्ष्य को

देखते हुए उक्त दोनों साक्षीगण की साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

18. समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात चालक के विरुद्ध लेखबद्ध की गयी है। फरियादी कमलेश मिर्धा अ.सा.1, साक्षी ब्रखभान सिंह अ.सा.2 एवं गजेन्द्र सिंह अ.सा.3 द्वारा एक्सीडेंट होना तो बताया गया है, परंतु यह नहीं बताया गया है कि दुर्घटना किस वाहन से कारित हुयी थी, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। साक्षी वीरेन्द्र सिंह अ.सा.4 द्वारा भी प्रदर्श पी 8 का प्रमाणीकरण पुलिस को देने से इंकार किया गया है। फरियादी कमलेश मिर्धा अ.सा.1, ब्रखभान सिंह अ.सा.2, गजेन्द्र सिंह अ.सा.3 एवं वीरेन्द्र सिंह अ.सा.4 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। प्रधान आरक्षक ब्रजराज सिंह अ.सा.5 एवं राजेन्द्र सिंह अ.सा.6 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि वाहन दुर्घटना आरोपित डम्फर क्रमांक एमपी06 जीए 0428 से कारित हुयी थी एवं यह भी दर्शित होता हो कि आरोपी राजपाल से आरोपित डम्फर क्रमांक एमपी06 जीए 0428 को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुए वाहन दुर्घटना कारित की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

19. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे। यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

20. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 02/01/13 को रात्रि लगभग 11 बजे जैतपुरा के आगे पुलिया के पास भिण्ड ग्वालियर हाइवे रोड पर लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन क्रमांक एमपी06 जीए 0428 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए स्कॉर्पियो में टककर मारकर उसमें बैठे गजेन्द्र सिंह उर्फ रघू को चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी राजपाल चौहान को भा.दं.सं. की धारा 304(ए) के आरोप से दोषमुक्त करती है।

21. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

22. प्रकरण में जप्तशुदा डम्फर क्रमांक एमपी06 जीए 0428 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः उसके संबंध में सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान — गोहद

दिनांक — 04/04/2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

मेरे निर्देशन में टंकित
किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)